REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2018

समावेशी विकास के महान् पैरोकार : डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

डॉ. अशोक कुमार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग),
राजकीय महिला महाविद्यालय, हर्रैया, बस्ती (उ.प्र.), भारत।

प्रस्तावना :-

समावेशी विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र), देश के सभी अंचलों (भौगोलिक क्षेत्र) एवं राष्ट्र तथा समाज के सभी वर्गों (अमीर तथा गरीब, शहरी एवं ग्रामीण, महिला–पुरूष, सभी जातियों एवं सम्प्रदायों) को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने से है। दूसरे शब्दों में समावेशी विकास 'विकास के लाभों' (Fruits of Development) को राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा से अलग–थलग पड़े प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का उपक्रम है। वास्तव में डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने भी राष्ट्र एवं समाज के हाशिये पर पड़े लोगों को राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में शामिल कराने हेतु अथक प्रयत्न किया। इस दृष्टि से हम उन्हें समावेशी विकास का सबसे बड़ा पैरोकार कह सकते हैं। उनके अधिकांश विचार चाहे वह सामाजिक हों, राजनीतिक हों या आर्थिक समावेशी विकास की ही वकालत करते दिखते हैं। वास्तव में उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र एवं समाज के हाशिये पर पड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने के लिए ही न्यौछावर कर दिया। प्रस्तुत शोध–पत्र में डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर के समावेशी विकास सम्बन्धी विचारों का विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा। शोध–पत्र निम्न परिकल्पनाओं का परीक्षण करेगा–

1. भारत राष्ट्र समावेशी विकास को साकार रूप देने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है।
2. डॉ0 अम्बेडकर समावेशी विकास के महान् पैरोकार थे।
3. वर्तमान में समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में डॉ0 अम्बेडकर के विचार आज भी कम प्रासांगिक नहीं हैं।

प्रस्तुत शोध–पत्र हेतु साहित्य का संकलन भारत सरकार के प्रकाशनों, विभिन्न राज्य सरकारों के प्रकाशनों (विशेषकर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार के बाबा साहेब से सम्बन्धित प्रकाशन), संविधान सभा की बहसें, विभिन्न विद्वानों द्वारा बाबा साहेब पर लिखी गयी पुस्तकों तथा विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं द्वारा किया जायेगा। एकत्रित साहित्य का अध्ययन एवं प्रस्तुतीकरण अन्वेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध तकनीक द्वारा करके उपर्युक्त परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जायेगा। शोध–पत्र के अंत में शोध–पत्र से प्राप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

यदि हम भारत की समावेशी विकास के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति को देखें तो इसे अधिक संतोषजनक नहीं कह सकते। वास्तव में शुरू में आर्थिक पंडितों के बीच यह माना जाता था कि यदि किसी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होता है तो 'विकास के लाभ' (Fruits of Development) रिसाव सिद्धान्त (Tricle Down Effect) के आधार पर धीरे–धीरे गरीब एवं वंचित वर्ग तक भी पहुँचेंगे। परन्तु बाद में यह देखा गया कि विकास के लाभ रिसाव सिद्धान्त के अनुसार गरीब एवं वंचित तबके तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतः रिसाव सिद्धान्त के प्रति आर्थिक पंडितों की आस्था समाप्त हो गयी तथा विकास के लाभों को गरीब एवं वंचित वर्ग तक पहुँचाने को सुनिश्चित करने के समावेशी विकास के सिद्धान्त के प्रति सभी आर्थिक पंडितों ने अपनी आस्था प्रकट की। अतः इसी आधार पर भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में समावेशी विकास पर बल दिया गया। MNREGA इन

गरीब एवं वंचित तबकों का आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करने वाला भारत में चलाया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण एवं विशाल कार्यक्रम है। इसके बावजूद भारत की जनसंख्या के बड़े हिस्से को गरिमामयी मानव जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अभी भी हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय जनसंख्या का 23.6 प्रतिशत $1.25 प्रतिदिन से भी कम पर गुजर बसर कर रहा है। विश्व बैंक के ही आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का 58 प्रतिशत $3.10 प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा कर रहा है। पूरे विश्व के गरीबों का 20.6 हिस्सा भारत में ही है। WHO के आंकड़ों के अनुसार अभी भी भारत की जनसंख्या के 22 प्रतिशत लोगों के पास साफ पानी के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तथा लगभग 60 प्रतिशत लोगों को आवश्यक आधारभूत साफ–सफाई भी उपलब्ध नहीं है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत में समावेशी विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना वांक्षित है।

डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर ने आर्थिक विपन्नता एवं निर्धनता का कटु अनुभव किया था। दरिद्र लोगों की दयनीय अवस्था को निकट से देखकर ही वह समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने राज्य–समाजवाद में निष्ठा प्रकट की। उनका दृढ़ विश्वास था कि विपन्न एवं निर्धन व्यक्तियों का विकास की मुख्यधारा में समावेशन राज्य समाजवाद से ही संभव है। डॉ0 अम्बेडकर ने भारत की आर्थिक स्थिति को देखकर, राज्य–समाजवाद की स्थापना का नारा बुलन्द किया, ताकि राज्य द्वारा उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण हो। उनकी दृष्टि से आर्थिक विकास एवं आयोजन की प्रक्रिया को किसी वैचारिक ढ़ाँचे से संबंधित करना वांछनीय था, विशेषकर सामाजिक एवं राजनीतिक विचार तंत्र से, ताकि लोग मात्र भौतिक उन्नति के ही गुलाम न हो पाएँ, बल्कि अन्य गैर–आर्थिक पक्षों का भी ध्यान रखें, जो मानवीय स्वतंत्रता, आदमी की गरिमा एवं समानता से सीधे संबंधित हैं। इसीलिए उन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया एवं आयोजन को राज्य–समाजवाद की विचारधारा से जोड़ने की वकालत की। उनके अनुसार समावेशी विकास के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अहिंसा और न्याय की आवश्यकता होती है और राज्य को इन मूल्यों की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। इन मूल्यों की रक्षा करते हुए विकास होने देना ही राज्य की भूमिका है।

डॉ0 अम्बेडकर उद्योग, बीमा, सेवाओं के विस्तार, कृषि एवं भूमि प्रबंध, व्यवसायिक गतिशीलता, जनसंख्या नियंत्रण, सामूहिक कृषि आदि विकास सम्बन्धी कार्यों को अत्यन्त महत्व देते थे। अतः उनका प्रबल मत था कि विकास सम्बन्धी इन सभी कार्यो को राज्य द्वारा ही किया जाय। उनका मत था कि यदि विकास सम्बन्धी इन कार्यो को राज्य द्वारा नहीं किया गया तो समावेशी विकास सम्भव नहीं हो पायेगा तथा देश का एक बड़ा वर्ग 'विकास के लाभों' (Fruits of Development) से वंचित रह जायेगा। इसीलिए उन्होंने राज्य–समाजवाद पर बल दिया।

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार बुनियादी उद्योगों को राज्य द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। सभी आधारभूत उद्योग राज्य स्वामित्व के अंतर्गत होने चाहिए। राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएँ, निगम एवं संगठन ही आधारभूत उद्योगों को संचालित करें। डॉ0 अम्बेडकर पूँजीपतियों को समाप्त करने की बात नहीं करते थे, क्योंकि आर्थिक विपन्नता एवं निर्धनता का समस्त उत्तरदायित्व उन पर ही नहीं थोपा जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मानव सम्मान में बाबा साहेब की इतनी आस्था थी कि वह पूँजीपतियों की आर्थिक मनोवृत्ति में मौलिक परिवर्तन चाहते थे, न कि उनका अन्त जैसा कि साम्यवादी देशों में हुआ था। उनका कहना था कि यदि पूँजीपतियों को सम्मानपूर्वक रहना है, तो उन्हें चाहिए कि वे श्रमिक वर्ग को अधिक से अधिक वेतन दें और उनके दुःख–दर्द में सम्मिलित हों। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की सम्भावनाओं को बढ़ाना भी उनका काम है। डॉ0 अम्बेडकर को यह शंका अवश्य थी कि पूँजीवाद देश का औद्योगीकरण कर सकता है अथवा नहीं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह जाना कि पूँजीवाद ऐसा नहीं कर पायेगा। इसलिए उन्होंने राज्य–समाजवाद का सुझाव लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, ''राज्य–समाजवाद भारत का औद्योगीकरण करने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती। यदि उसने ऐसा किया, तो वे ही आर्थिक असमानताएं उत्पन्न हो जायेंगी जो पूँजीवाद ने यूरोप के अन्दर पैदा की हैं। भारत के लोगों के लिए यह एक चेतावनी है।'' अर्थात् उनका मत था कि यदि उद्योगों का विकास राज्य–समाजवाद के अन्तर्गत किया गया तो ही गरीब एवं विपन्न वर्ग औद्योगिक गतिविधियों में सम्मिलित हो पायेगा तथा विकास की प्रक्रिया समावेशी बन सकेगी।

अपने राज्य–समाजवाद के कार्यक्रम के अन्तर्गत, डॉ0 अम्बेडकर ने बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का भी सुझाव दिया था। इसके पीछे उनके दो उद्देश्य थे–

1. राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी एक प्राइवेट बीमा कम्पनी की अपेक्षा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अधिक लेती है। राज्य बीमा कम्पनी, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, धन लौटाने का पूरा दायित्व निभाती है। इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता।
2. राज्य बीमा कम्पनियों के द्वारा राज्य के पास भी एक निश्चित पूँजी आ जाती है जिसे वह अपने औद्योगिक कार्यों में लगा सकता है। अन्यथा राज्य को खुले बाजार से पूँजी लेनी पड़ती है जिसकी ब्याज दर भी बहुत ऊँची होती है। अतः राज्य को घाटा उठाना पड़ता है।

बाबा साहेब के अनुसार उद्योग एवं कृषि में बीमा सुविधाएँ राज्य के संरक्षण में ही विकसित होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सभी लोगों को अनिवार्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए बाध्य करे।

डॉ0 अम्बेडकर का मत था कि निजी क्षेत्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोक सेवाओं के विस्तार कार्य में कोई रूचि नहीं लेगा क्योंकि निजी क्षेत्र उन्हीं क्षेत्रों में कार्य करता है जहाँ उसका लाभ अधिकतमीकरण होता है। अतः वह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोक सेवाओं का विस्तार राज्य के अधीन चाहते थे ताकि समतापूर्ण विकास की ओर अग्रसित हुआ जा सके। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोक सेवाओं का विस्तार विकास की पूर्व शर्त है अतः अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए इन सेवाओं का विकास राज्य के अधीन होना आवश्यक है।

डॉ अम्बेडकर ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में गरीब एवं विपन्न लोगों को समावेशित करने के लिए कृषि एवं भूमि प्रबंध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। समावेशी विकास के लिए उन्होंने यहाँ के कृषि क्षेत्र में भी राज्य–समाजवद के व्यवहार की बात कही। उन्होंने कहा ''खेती के क्षेत्र में सामूहिक पद्धति के साथ–साथ और एक संशोधित रूप में उद्योग के क्षेत्र में राज्य–समाजवाद का होना आवश्यक है।'' बाबा साहेब के अनुसार समस्त भूमि राज्य के अधिकार में होनी चाहिए। यदि निजी क्षेत्र में विद्यमान भूमि के लिए मुआवजा देकर भी कृषि पर राज्य का अधिकार स्थापित करना पड़े तो भी ऐसा किया जाना चाहिए। भूमि प्रबंध में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सीलिंग कानूनों का लागू करना, वास्तविक किसानों को भूमि का अधिकार दिलाना आदि कार्य आवश्यक हैं। कृषि को राष्ट्रीय उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए। संविधान में भूमि संबंधी प्रावधानों में आवश्यकतानुरूप परिवर्तन किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ उत्पादन एवं निवेश वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र में अनिश्चितताओं और जोखिम को कम किया जाय तथा भूमि संबंधी कानूनों में पर्याप्त संरक्षण दिया जाय। डॉ0 अम्बेडकर यह भलीभाँति जानते थे कि भारत जैसे देश में भूमि को सम्पत्ति के रूप में उच्च दर्जा प्राप्त है और यदि हम आर्थिक रूप से गरीब एवं विपन्न लोगों को भूमि के कुछ टुकड़ों का स्वामित्व दे पाये तो विकास की मुख्यधारा में उनका समावेशन दूर की कौड़ी नहीं होगी।

डॉ0 अम्बेडकर व्यवसायिक गतिशीलन के कार्य को भी राज्य को ही सौंपने के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था कि राज्य द्वारा इस कार्य को करने से गरीब एवं विपन्न लोगों को इस प्रक्रिया में वरीयता मिलेगी और समावेशी विकास संभव हो पायेगा। उनका मानना था कि राज्य स्वयं नये व्यवसाओं एवं सेवाओं का विस्तार करे तथा श्रम को इस ओर आकर्षित करे। श्रम शक्ति गाँवों से शहरों की ओर आकर्षित हो। लोग परम्परागत व्यवसायों को छोड़कर नये कौशल स्वीकार कर सकें।

डॉ0 अम्बेडकर जनसंख्या वृद्धि को गरीब एवं विपन्न लोगों के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा मानते थे। उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सा सुविधाएँ नहीं हैं, जनसंख्या का बढ़ाना जोखिमपूर्ण है। डॉ0 अम्बेडकर ऐसे भविष्यद्रष्टा थे, जिन्होंने व्यक्ति, समाज और सरकार सभी को लगभग छः दशकों पूर्व ही बढ़ती आबादी, उसके दुःखद परिणामों और भावी अर्थव्यवस्था पर दबावों से आगाह किया था कि आर्थिक उन्नति को सार्थक व व्यापक बनाने के लिए जन्म–नियंत्रण किया जाये। डॉ0 आम्बेडकर ने जन्म दर को कम करने अथवा जनसंख्या वृद्धि को ईमानदारी से, 'जन्म नियंत्रण अभियान' के रूप में संचालित करने पर जोर दिया था। जहाँ तक उसके उपायों का संबंध है, वे परिस्थितियों के अनुसार अपनाए जा सकते हैं। अतः सरकार को नये–नये तरीकों से जन्म–नियंत्रण करना चाहिए। उनके मत से यह स्पष्ट होता है कि वह इस तथ्य से भलीभाँति परिचित थे कि विकास की प्रक्रिया में गरीब एवं विपन्न लोगों के समावेशन में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी बाधा है।

डॉ0 अम्बेडकर के राज्य–समाजवाद के प्रारूप में सामूहिक कृषि को भी सम्मिलित किया गया है। उनके अनुसार कृषि में अधिक मात्रा में निवेश के लिए सामूहिक कृषि की जानी चाहिए। वह यह भलीभाँति जानते थे छोटी जोत वालों के लिए कृषि आगतों की व्यवस्था की लागत अकेले वहन कर पाना असंभव है। अतः उनका मत था कि देश में सामूहिक कृषि को बढ़ावा मिले। इस प्रकार सामूहिक कृषि द्वारा प्राप्त उत्पादन का बँटवारा प्रत्येक जोत के स्वामी द्वारा आगतों की लागत को पूरा करने में दिये गये उनके योगदान के अनुपात में होना आवश्यक नहीं था। उनके अनुसार हो सकता है कि सामूहिक कृषि के लिए बड़े जोतस्वामी तैयार न हों अतः उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था की जाय। सामूहिक कृषि के द्वारा कृषि में निवेश एवं आदान–प्रदान संबंधों में वृद्धि होगी जो औद्योगिक क्षेत्र को द्रुतगामी विकास प्रदान करेगा।

वास्तव में यदि हम विचार करें तो पायेंगे कि डॉ0 अम्बेडकर ताउम्र गरीब एवं विपन्न वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समावेशन के लिए प्रयास करते रहे। संविधान की धाराओं द्वारा राजनीतिक अधिकार प्रदान करके उन्होंने इस वर्ग का राजनीतिक समावेशन सुनिश्चित किया। कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह तथा महाड़ तालाब क्रांति आदि के द्वारा उन्होंने दलित वर्ग का सामाजिक समावेशन कराने का भी प्रयास किया। वह आर्थिक न्याय को राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने आगाह किया था, ''26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन मे प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी, एक वोट, एक कीमत के सिद्धान्त को पाने जा रहे हैं। हम सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचे के अन्तर्गत एक आदमी, एक कीमत के सिद्धान्त को अस्वीकार करते रहेंगे। प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक वहन करते रहेंगे? हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर ये असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर्विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के ढाँचे को जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उड़ाकर रख देंगे।''

उपर्युक्त तथ्य यह स्पष्ट कर देते हैं कि डॉ0 अम्बेडकर समावेशी विकास के एक महान् पैरोकार थे। भारत के गरीब एवं वंचित तबके के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन के लिए किये गये उनके भगीरथ प्रयास अतुल्य हैं।

वास्तव में डॉ0 अम्बेडकर ने समावेशी विकास के लिए राज्य–समाजवाद को सर्वाधिक महत्व दिया। वह इस तथ्य से पूर्ण परिचित थे कि भारत जैसे देश में गरीब एवं वंचित तबके के आर्थिक समावेशन के लिए राज्य को ही आगे आना होगा। निजी क्षेत्र से इस प्रकार की अपेक्षा करना मूर्खता होगी। समावेशी विकास के सम्बन्ध में डॉ0 अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

1. किसी भी आर्थिक व्यवस्था के सुधार में गरीब तथा पद्दलितों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि वे भी निरंतर समाज में बने रहेंगे। यह काम अर्थनीति निर्धारकों का है कि गरीब के मुँह से रोटी न छिने और न ही दुकानें वर्गर और पिज्जा से अटी पड़ी रहें। ऐसे अन्तर्द्वन्द्व को सम्यक रूप से समझना भले ही कठिन हो, उसका समाधान परमावश्यक है।
2. .भारत जैसे देश में जहाँ बनियावाद निकृष्ट रूप में सक्रिय हो, निर्धन की दरिद्रता पूर्व जीवन का कर्म फल माना गया हो, शूद्र–अछूत को धन–सम्पत्ति का अधिकार न रहा हो, लोभ–लालच की व्यापकता हो, भुखमरी व बेरोजगारी का भय सताता हो और पूँजीपति अपनी जेब भरने में अंधा हो, वहाँ राज्य ही एक ऐसा आर्थिक प्रबंधन का उपकरण है, जो पीड़ित वर्गों की सहायता और आर्थिक बुराईयों का अन्त कर सकता है, वशर्ते राज्य को अनाचार की राजनीति से दूषित व शोषक न बनाया जाय।
3. राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया तथा परिदृश्य में राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है क्योंकि यह सर्वविदित है कि बैंकों तथा बीमा के राष्ट्रीयकरण से आर्थिक संसाधनों का वितरण अधिक न्यायपूर्ण हुआ है। इसीलिए राज्य के आर्थिक कार्यक्रमों तथा उपक्रमों का निजीकरण अहितकर है।
4. किसी आर्थिक व्यवस्था में यदि अतिवाद नहीं आये, तो जनहित फलीभूत होगा। यही कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का समुचित संतुलित योजनाबद्ध विकास तथा निजी जोखिम दोनों को प्रोत्साहित करता है। यही राज्य–समाजवाद की मुख्य विशेषता है। दोनों के उचित संतुलन में ही समानता व स्वतंत्रता को उचित स्थान मिलने की अधिक संभावनाएँ अंतर्निहित हैं।

5. स्वराज की आर्थिक व्यवस्था में परिवहन का जाल, व्यापक संचार, मुद्रा एवं बाजार अर्थचक्र की वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार गारण्टी, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण के सामान्य लाभ सभी अभावग्रस्त स्त्री–पुरूषों तक पहुँचाने की परमावश्यकता है और यह कार्य सरकारी अभिकरण ही भली–भाँति कर सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डॉ0 अम्बेडकर समावेशी विकास के महान् पैरोकार थे तथा इस कार्य के लिए उन्होंने राज्य–समाजवाद अपनाने पर बल दिया। भारत के संदर्भ में बनायी जाने वाली विभिन्न आर्थिक नीतियों में यदि डॉ0 अम्बेडकर के इन विचारों का समन्वय किया जाय तो इससे न केवल पद्दलितों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा बल्कि भारत में समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी और भारत एक अधिक मजबूत लोकतंत्र एवं आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो सकेगा।

संदर्भ :

1. अम्बेडकर, बी0 आर0, स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटीज, 1947 थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई।
2. अम्बेडकर, बी0 आर0, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1955 स्वयं द्वारा प्रकाशन, दिल्ली।
3. मिश्र, ए0के0 एवं पुरी, वी0के0, भारतीय अर्थव्यवस्था, 2015, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. प्रो0 लाल, एस0एन0 एवं डॉ0 लाल, एस0के0, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विश्लेषण, 2014, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_India
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_India

डॉ. अशोक कुमार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग), राजकीय महिला महाविद्यालय, हर्रैया, बस्ती (उ.प्र.), भारत।